

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर  
पीठासीन अधिकारी- श्री ओपीओ बिश्नोई आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 20/2015

प्रार्थी

भूराराम गोदारा  
खाद्य सुरक्षा अधिकारी  
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य  
अधिकारी, बाड़मेर

अप्रार्थी

बनाम्

1. गजेन्द्र पुत्र कोजाराम  
जाति जाट निवासी वार्ड नं. 23  
नेहरू कॉलोनी बालोतरा जिला बाड़मेर  
(फर्म मुनीम)
2. कोजाराम चौधरी पुत्र हरजीराम  
जाति जाट निवासी वार्ड नं. 23  
नेहरू कॉलोनी बालोतरा जिला बाड़मेर  
(फर्म मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (II) खाद्य सुरक्षा एवं मानक  
अधिनियम, 2006 व नियम 2011

उपस्थित:-1. सहायक लोक अभियोजक प्रथम बाड़मेर प्रार्थी की ओर से।  
2. श्री अमराराम चौधरी अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

दिनांक 31.8.2016

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 05.05.2015 को प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दौराने चैकिंग जरिये सरकारी वाहन फर्म लक्की आईसक्रीम वार्ड नं. 30 नेहरू कॉलोनी बालोतरा दोपहर 01.00 बजे पहुँचने पर दुकान में एक व्यक्ति बैठा हुआ मिला, नाम व पता पूछने पर अपना नाम गजेन्द्र पुत्र कोजाराम जाति जाट निवासी वार्ड नं. 23 नेहरू कॉलोनी बालोतरा (फर्म मुनीम) होना बताया। रूबरू मौतबिरान की उपस्थिति में उक्त दुकान का निरीक्षण करने पर दुकान में आईसकेण्डी के लगभग 200 पैकेट आम जनता को विक्रय करने हेतु रखे हुए पाये गये। उक्त आईसकेण्डी में मिलावट का सन्देह होने पर 200 पैकेट में से 30 पीस खरीदे जाकर उसका भुगतान रुपये 150/- किया गया। उक्त 30

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

पीस को खोलकर एक स्टील की भगोली जो इसी दुकान में रखी हुई थी, में डाल कर हिला-हिलाकर एकरूप पर इसे चार कांच की साफ सुखी व खाली शिशियों में बराबर मात्रा में भरा गया, उक्त प्रत्येक शीशी में 36-36 बूंद फार्मेलिन बतौर प्रिजररेटिव के रूप में डालकर उसके उपर एयरटाईट ढक्कन लगाकर बंद किया गया तथा उसके उपर लेबल चिपकाया, जिस पर नमूने का विवरण अंकित कर गवाहो व मालिक विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये एवं स्लीप कोड एवं सिरियल नम्बर पी-505 चिपकाकर चिपडी लगाकर नियमानुसार सीलबंद किया गया। इसके उपर लेबल चिपका कर नमूने का विवरण अंकित किए, प्रार्थी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। प्रत्येक नमूने को मोटे व खाखी कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूने पर विवरण अंकित किया, इस पर प्रार्थी व गवाहों के पेपर स्लीप को कौंस करते हुए हस्ताक्षर करवाये। फार्म नम्बर 05 ए भरकर गवाहों के एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवाये गये उपरोक्त कार्यवाही दो गवाहो के रूबरू की गई तथा चारो नमूनों को अपने कब्जे में लिया व मौके पर गवाहों की उपस्थिति में मौका फर्द तैयार की गई। समस्त कार्यवाही करने के बाद कार्यालय आकर नमूना पी-505 जाँच हेतु खाद्य सुरक्षा लैब जोधपुर को भिजवाने हेतु फार्म नम्बर 06 की कुल सात प्रतियो पर नमूना सील जिसका प्रयोग सैंपल लेते वक्त नमूना सील करने में किया गया। एक प्रति नमूने के साथ रखकर आउटर कवर के साथ उसी ब्राससील से सील किया जिसका प्रयोग चारो नमूनों को सीलबन्द करने में किया गया एवं आउटर कवर पर, नमूना विवरण अंकित किया गया एवं एक लिफाफे में फार्म नम्बर 06 की एक प्रति रखकर खाद्य सुरक्षा लैब जोधपुर का पता अंकित कर ब्राससील द्वारा लिफाफे को सील बन्द किया गया। नमूनों का शेष दूसरा, तीसरा व चौथा भाग मय फार्म नम्बर 06 की एक प्रति आउटर कवर में ब्राससील से सील कर सील अवस्था में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाड़मेर को भिजवाने जाने का उल्लेख किया। प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया कि खाद्य व पेय पदार्थ आईसकेण्डी का नमूना पी-505 की जाँच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/293/एक्ट/2015/291 दिनांक 12.5.2015 से अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर को प्राप्त हुई, जिसमें आईसकेण्डी का नमूना पी. 505 निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने से अवमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पेय पदार्थ आईसकेण्डी का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की



न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

उप धारा 2 (11) का उल्लंघन पाये जाने के आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र का नोटिफिकेशन एवं संशोधित नोटिफिकेशन की प्रति, फार्म नम्बर 5 ए, नमूना खरीद रसीद, मौका फर्द, नमूना पी.505 जॉच रिपोर्ट अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने हेतु आवेदन, फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

2. परिवाद प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किया। अप्रार्थीगण के वकील द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का लोक अदालत की भावना से न्यूनतम जुर्माना आरोपित कर निस्तारण करने का निवेदन करते हुए प्रकरण में सेक्शन 12 का लाभ अप्रार्थी संख्या 01 को दिलाने का अनुरोध किया।
3. हमने दोनो पक्षों को सुना। सहायक लोक अभियोग्यक प्रथम का यह तर्क है कि दिनांक 05.5.2015 को वक्त चैकिंग फर्म लक्की आईसक्रीम वार्ड नं. 23 बालोतरा का निरीक्षण करने पर दुकान में आईसकेण्डी के 200 पैकेट आम जनता को बेचने हेतु रखे हुए पाये गये। आईसकेण्डी का नमूना पी-505 निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने एवं अवमानक स्तर (Sub Standard) होना पाया गया, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 का उल्लंघन है। इसलिये अप्रार्थीगण पर जुर्माना आरोपित किया जाए।
4. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जोधपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/293 एक्ट/2015/291 दिनांक 12.5.2015 के अनुसार अप्रार्थी द्वारा विक्रय की जा रही आईसकेण्डी का नमूना पी. 505 अवमानक स्तर (Sub Standard) का होना पाया गया है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी प्रतीत होते हैं।
5. अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण गजेन्द्र वगैरहा द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (11) के तहत निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने एवं अवमानक स्तर (Sub Standard) की आईसकेण्डी रखने एवं बेचने के दोषी हैं। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया गया है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (11) का उल्लंघन



न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप लोक अदालत की भावना को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 51 में अप्रार्थीगण गजेन्द्र वगैरहा प्रत्येक पर 5000/—(अक्षरे रूपये पांच-पांच हजार मात्र) शास्ति आरोपित की जाती है। उपरोक्त शास्ति की राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय तारीख 31.8.2016 से एक माह के अंदर- अंदर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें।

(ओपीओबिश्नोई )

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अति.जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर  
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर



निर्णय लिखाया जाकर आज तारीख 31.8.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अति.जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर  
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर